महत्वपूर्ण/अनुस्मारक

संख्या-14/1534/9-8-2013-70ज/2013

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 09 दिसम्बर, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषदों/ नगर पंचायतों को स्वीकृत धनराशि के उपभोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 3/1409आ.न.यो./9-8-2013-70ज/2013, दिनांक 11.10.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया था कि आदर्श नगर योजनान्तर्गत नागर निकायों को स्वीकृत धनराशि को जनपद कोषागार द्वारा निकायों द्वारा आदर्श नगर योजना के लिये खोले गये पृथक खाते में दिनांक 20.10.2013 तक स्थानान्तरित कराया जाय तथा विकास कार्य कराये जाने हेतु यदि निकायों द्वारा टेण्डर नहीं कराये गये हैं तो टेण्डर प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 25.10.2013 तक मौके पर विकास कार्य कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए आख्या शासन को उपलब्ध करायें। उक्त के अनुपालन में मात्र जिलाधिकारी सीतापुर की आख्या प्राप्त हुई एवं किसी अन्य जनपद से अनुपालन की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है।

2. उपर्युक्त के क्रम में संज्ञान में लाना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से विभिन्न नागर निकायों को अब तक कुल रू0 7750.06 लाख की स्वीकृत की गयी हैं, जिसके सापेक्ष दिनांक 06.12.2013 तक रू0 3961.31 लाख का व्यय कोषवाणी की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहा हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	आदर्श नगर योजना	धनराशि	शासनादेश संख्या व दिनांक
1	11 नगर पालिका परिषद	432.50	770आनयो/9.8.2013-14(01)आ.न.यो./2012 दि0 28.6.13
2	10 नगर पालिका परिषद	221.50	727आनयो/9.8.2013-04(03)आ.न.यो./2013 दि0 04.7.13
3	04 नगर पालिका परिषद	190.00	1087आनयो/9.8.2013-12(03)आ.न.यो./2013 दि0 05.8.13
4	04 नगर पालिका परिषद	122.00	1186आनयो/9.8.2013-14(01)आ.न.यो./2010 दि0 27.8.13
5	नपाप शम्साबाद, आगरा को सार्वजनिक शौचालय निर्माण	63.06	4/1293आनयो/9.8.2013-57जे/2013 दि0 23.10.2013
6	नपाप गौराबरहज	27.50	11/1493आनयो/9.8.2013-2आ.न.यो.(बजट)/13 दि0 26.11.13
7	नपाप कर्नलगंज	10.00	10/1492आनयो/9.8.2013-2आ.न.यो.(बजट)/13 दि0 26.11.13
8	नपाप घाटमपुर व नवाबगंज	82.50	9/1491आनयो/9.8.2013-2आ.न.यो.(बजट)/13 दि0 26.11.13
9	15 नगर पालिका परिषद	431.50	13/1444आनयो/9.8.2013-2आ.न.यो.(बजट)/13 दि0 29.11.13

up.shasanadesh.up.nic.in

10	45 नगर पंचायत	1632.00	89आनयो/9.8.2013-14(01)आ.न.यो./12 दि0 28.6.13
11	67 नगर पंचायत	2036.00	788आनयो/9.8.2013-4(03)आ.न.यो./13 दि0 04.7.13
12	24 नगर पंचायत	760.00	1021आनयो/9.8.2013-12(03)आ.न.यो./13 दि0 05.8.13
13	13 नगर पंचायत	499.00	1235आनयो/9.8.2013-14(01)आ.न.यो./10 दि0 27.8.13
14	नगर पंचायत सहसपुर, अमीनगर सराय तथा अशरफपुर किछौछा	87.50	8/1490आनयो/9.8.2013-2आ.न.यो.(बजट)/13 दि0 26.11.13
15	11 नगर पंचायत	421.50	7/1489आनयो/9.8.2013-2आ.न.यो.(बजट)/13 दि0 26.11.13
16	17 नगर पंचायत	660.50	6/1488आनयो/9.8.2013-2आ.न.यो.(बजट)/13 दि0 26.11.13
17	04 नगर पंचायत	72.50	12/1443आनयो/9.8.2013-4आ.न.यो.(बजट)/13 दि0 29.11.13

3. उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा उक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत धनराशि की इन्ट्री Financial Management Information System (FMIS) की वेबसाइट http://budgetallot.up.nic.in पर भी यथासमय कर दी गयी है। परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय जनपदों के कोषागारों द्वारा यह बताया जा रहा है कि आदर्श नगर योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि कोषागार के साफ्टवेयर/वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। कोषवाणी की सूचना से भी यह परिलक्षित हो रहा है कि जनपद कोषागारों द्वारा निकायों को स्वीकृत धनराशि नागर निकायों के खाते में समयान्तर्गत स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है और शासन द्वारा निकायों में विकास कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय मात्र 51 प्रतिशत ही है। इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष विकास कार्यों को फील्ड स्तर पर कराये जाने में पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि जनपद कोषागार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि आदर्श नगर योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को दिनांक 15.12.2013 तक संबंधित नागर निकायों के खाते में स्थानान्तरित कराकर मौके पर विकास कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा नागर निकायों द्वारा स्वीकृत 50 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये ताकि अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन स्तर से स्वीकृत की जा सके। इस हेतु प्रभारी अधिकारी, नागर निकाय को अपने स्तर से निर्देशित कर दें कि वे इसकी समीक्षा कर लें तथा शासन के आदेशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करायें। आदर्श नगर योजनान्तर्गत निर्गत उपर्युक्त वर्णित शासनादेशों के द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि से संबंधित Allotment Object Wise Report (प्रतियां संलग्न) नगर विकास विभाग की वेबसाइट http://urbandevelopment.up.nic.in/ पर भी उपलब्ध है।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 15.12.2013 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

(सी0 बी0 पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-14/1534(1)नौ-8-2013-70ज/2013, तददिनांक</u>

http://sheshadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, नागर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 को निर्देश के साथ प्रेषित कि आदर्श नगर योजनाव्तगत स्वीकृत धनराशि से विकास कार्य पूर्ण कराते हुए धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (द्वारा जिलाधिकारी)
4. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

http:shasanadesh.upnic.in